समाहरणालय, गया

(जिला गोपनीय शाखा)

ज्ञापांक 7623 /गो०	फोन नं० :- 0631-2222800, 2222900
	फैक्स नं० :- 0631-2223561, 2222100
दिनांक 24/ 9 /2020 ई०।	ई मेल :- dm-gaya.bih@nic.in

—: आदेश :—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के **आदेश संख्या**– 40–3/2020–DM-I (A) दिनांक 29.08.2020 के तहत कोविड–19 पेन्डेमिक के मद्देनजर पूर्व मे लगाये गये लॉक डाउन के क्रम में अनलॉक –4 के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत किया गया है। उक्त निदेश के आलोक में कन्टेन्मेंट जोन के बाहर के कक्षा–9 से 12 तक के छात्र/छात्राओं को शिक्षकों से मार्ग दर्शन प्राप्त करने हेतु विद्यालय आने पर सशर्त अनुमति प्रदान की गई है। इस हेतु भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिनांक 08.09.2020 को दिशा–निर्देश के अनुपालन मे **अपर सचिव–सह–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना का आदेश ज्ञापांक 1586 दिनांक 22.09.2020 द्वारा** बिहार राज्य अतर्गत सभी कोटि (निजी विद्यालय सहित) के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा–9 से 12 तक एव वैसे महाविद्यालय जहाँ कक्षा–11 एव 12 की पढाई होती है, में दिनाक 28.09.2020 से छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु विद्यालय जाने की अनुमति प्रदान की गई है। इस हेतु भारत सरकार के गृह मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के तहत निर्धारित SOP का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त निदेश के आलोक में कक्षा–9 से 12 तक के छात्र/छात्राओं को मार्ग दर्शन प्राप्त करने हेतु विद्यालय आने हेतु निम्न दिशा–निदेश दिये जाते है :–

1. कन्टेनमेंट जोन से बाहर के विद्यालयों मे ही कक्षा–9 से 12 तक छात्र–छात्राओं को शिक्षकों से मार्ग दर्शन प्राप्त करने हेतु विद्यालय आने की अनुमति होगी। वैसे शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी एवं छात्र/छात्रा जिनका निवास स्थान कन्टेनमेंट जोन में होगा, वे विद्यालय नहीं आयेंगे।
2. माता–पिता/अभिभावक के लिखित सहमति के उपरात ही कक्षा–9 से 12 तक के छात्र/छात्राओ को शिक्षको से मार्ग दर्शन प्राप्त करने हेतु विद्यालय आ सकेंगे। यह व्यवस्था स्वैच्छिक आधार पर होगा अर्थात् छात्र/छात्रा स्वेच्छा से सम्मिलित हो सकेंगे।
3. विद्यालय में शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों की अधिकतम सख्या 50 प्रतिशत के साथ प्रतिदिन छात्र/छात्रों की सख्या का अधिकतम एक तिहाई उपस्थित हो सकेंगे। छात्र/छात्राओं को तीन श्रेणी यथा सोमवार–गुरूवार, मगलवार–शुक्रवार एव बुधवार–शनिवार मे बॉटकर विद्यालय में आने की अनुमति दी जायेगी।
4. सबधित विद्यालय प्रबधन कक्षा संचालन करने के पूर्व विद्यालय को सेनेटाईज कराना सुनिश्चित करेगे, जो विद्यालय पूर्व में कोरेनटाईन सेन्टर के रूप मे इस्तेमाल किये गये हो उन विद्यालयों का सघन रूप से सेनेटाईजेशन कराया जाना आवश्यक होगा।
5. शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी एवं छात्र/छात्राओं द्वारा बायोमेट्रिक उपस्थिति का उपयोग नहीं किया जायेगा।
6. विद्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आवश्यक होगा। साथ ही, विद्यालय में नियमित अतराल पर हाथ धोने की व्यवस्था आवश्यक होगी।
7. प्रार्थना सत्र, खेल–कूद और ऐसे सभी गतिविधि जिससे एक स्थान पर भीड एकत्रित हो विद्यालय मे वर्जित रहेगा।

8 विद्यालय के प्रवेश द्वार पर हैण्ड सेनटाईजन की व्यवस्था की जाय।

9 कोविड–19 के संक्रमण से उत्पन्न होने वाले लक्षण यदि दृष्टिगत हो तो तत्काल चिकित्सीय सलाह की व्यवस्था की जाय।

विद्यालय प्रबंधन एवं शिक्षक की सर्वोच्च प्राथमिकता छात्र/छात्राओं के स्वास्थ्य की रक्षा करना होगा। साथ ही पूर्व से ऑनलाईन लर्निंग की व्यवस्था यथावत रहेगी।

विद्यालय के साफ–सफाई, सेनेटाईजेशन आदि पर होने वाले व्यय को विद्यालय मे संधारित छात्र कोष की राशि अथवा समग्र शिक्षा अंतर्गत प्राप्त होने वाले कम्पोजिट ग्रान्ट की राशि से की जायेगी।

<u>छात्रावास एवं कोचिंग संस्थान पूर्व की भांति ही अगले आदेश तक बंद रहेगा।</u>

जिला शिक्षा पदाधिकारी, गया को निदेश दिया जाता है कि अपने कार्यालय में एक अनुश्रवण कोषांग का गठन करना सुनिश्चित करेंगे। गठित अनुश्रवण कोषांग का दायित्व होगा कि विद्यालय प्रारंभ करने के पूर्व की तैयारी एवं विद्यालय में छात्र/छात्राओं द्वारा शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने की गतिविधि पर सतत् अनुश्रवण करेंगे। साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी, गया भी स्वयं अनुश्रवण करेंगे।

24/09/2020

ह०/-

जिला पदाधिकारी, गया।

24/9/2020

ज्ञापांक– 7623 /गो०, गया, दिनांक 24/9/2020 ई०।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया/पुलिस महानिरीक्षक, मगध क्षेत्र, गया की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– वरीय पुलिस अधीक्षक, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– नगर आयुक्त, गया नगर निगम, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– नगर पुलिस अधीक्षक, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी अपर समाहर्त्ता, गया जिला/उप विकास आयुक्त, गया/निदेशक, DRDA, गया/जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गया/अपर पुलिस अधीक्षक, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सिविल सर्जन, गया/अधीक्षक, ANMMCH, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला शिक्षा पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/पुलिस उपाधीक्षक, गया जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बोधगया/शेरघाटी/टिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/थानाध्यक्ष, गया जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/09/2020

ह०/-

जिला पदाधिकारी, गया।

24/9/2020

ज्ञापांक – [illegible] गया, दिनांक – 25/09/2020

प्रतिलिपि :- [illegible] कार्यक्रम पदाधिकारी (मा० शि०), गया/सभी कोटि के [illegible] एवं [illegible] विद्यालय/महाविद्यालय के प्रधान को [illegible] अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह०/-

जिला शिक्षा पदाधिकारी

गया।